# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

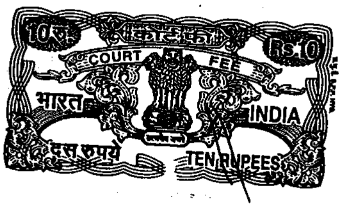

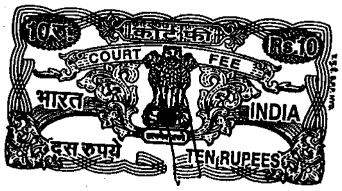


1-अरविन्द कुमार मिश्रा तनय श्री सुरेश प्रसाद मिश्रा

2-अशोक कुमार मिश्रा तनय श्री सुरेश प्रसाद मिश्रा

दोनों निवासी ग्राम हिनौती हाल मुकाम मुरली भवन के पीछे कृष्णनगर सतना, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र...............
.......................................................................आवेदकगण

**बनाम**

प्रिज्म सीमेन्ट लिमिटेड मनकहरी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र.द्वारा-पैरवीकार अरविन्द सिंह .................. अनावेदक

**आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश-39 नियम 2(ख)जा.दी.बावत् किये जाने दण्डात्मक कार्यवाही विरूद्ध अनावेदक ।**

**मान्यवर,**

उपरोक्त संदर्भ में आवेदकगण निम्नलिखित आधार पर अवमानना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनयी है:-

1- यह कि आवेदकगणों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के आदेश दिनांक 30.12.13 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई जिसके दौरान अनावेदक द्वारा मौके पर अवैधानिक रूप से उत्खनन का कार्य शुरू किये जाने से निगरानी में शीघ्र सुनवाई के अन्तर्गत स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर दिनांक 13.05.14 को मौके एवं अभिलेख पर यथास्थिति बनाये जाने का आदेश प्राप्त किया गया । उक्त आदेश की प्रति एनेक्जर-ए है ।

.........2

अरविन्द कुमार मिश्रा / प्रिज्म सीमेन्ट
प्र. 1922-दो/14 सतना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं [illegible]कों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15-9-15 | 1- प्रकरण प्रस्तुत।<br>2- आवेदक व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, किन्तु सूचनोपरान्त लगातार तीन पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को आगे प्रकरण चलाने में कोई रुचि नहीं है।<br>3- अतः म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 35-(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।<br>4- प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।<br>सदस्य. | |